हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001
Email:, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone - 0788-2359400

क्रमांक 198/अका./शोध/2019 | दुर्ग, दिनांक 30/01/2019

//सूचना//

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 45 के प्रावधान अनुसार इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 525/अका./शोध/2018, दुर्ग, दिनांक 14.09.2018 के अनुक्रम में समस्त प्रवेशित पी.एच.डी. शोधार्थियों को सूचित किया जाता है कि –

1. समस्त शोधार्थी अध्यादेश क्रमांक 45 का अध्ययन अनिवार्य रूप से करे ।

2. पी.एच.डी. कोर्सवर्क अध्ययन समय सीमा दिनांक 01/11/2018 से 30/04/2019 अर्थात छः माह की होगी तद्पश्चात् कोर्सवर्क परीक्षा आयोजित किया जावेगा।

3. विश्वविद्यालय नियमानुसार अन्य पाठ्यक्रमो के अनुसार ही पी.एच.डी. कोर्सवर्क के छात्र/छात्रों की उपस्थिति शोध केन्द्रों में 75% होना अनिवार्य है ।

4. अध्यक्ष/प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र द्वारा कोर्सवर्क की गतिविधियों की जानकारी तथा शोध आवेदकों की उपस्थिति की जानकारी प्रत्येक माह की अंतिम तिथि में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कराकर सहायक कुलसचिव, अकादमिक विभाग, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को उपलब्ध कराया जावे ।

5. अध्यादेश–45 के प्रावधानानुसार योग्य आवेदकों को विभागीय शोध समिति (DRC) की अनुशंसा पर कोर्सवर्क से छूट प्रदान की जा सकेगी तथा ऐसे आवेदक विभागीय शोध समिति के निर्णयानुसार शोध निर्देशक के निर्देशन में शोध रूपरेखा तैयार करेंगे । ऐसे आवेदकों की शोध रूपरेखा 01 मार्च से 15 मार्च 2019 के मध्य विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग को संलग्न सूची अनुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, जो विभागीय शोध समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की जा सकेगी ।

6. पी.एच.डी कोर्सवर्क की परीक्षा में उत्तीर्ण शोधार्थियों की शोध रूपरेखा शोध केन्दों द्वारा विभागयी शोध उपाधि समिति डी.आर.सी (DRC) की अनुशंसा सहित अकादमिक विभाग में प्रस्तुत करेंगे तद्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा शोध केन्द्रो को सूचना प्राप्त होने पर शोध रूपरेखा एवं उनके पी–एच.डी. रजिस्ट्रेशन फार्म एवं अन्य प्रमाण पत्र पंजीयन हेतु शोध उपाधि समिति आर.डी.सी. (RDC) के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

7. शोध रूपरेखा, शोध उपाधि समिति (RDC) के समक्ष रखे जाने हेतु वि.वि. के अकादमिक विभाग में पी–एच.डी. पंजीयनु शुल्क 1500/– प्रति छात्र अनुसार चालान के माध्यक्ष से वि.वि. के खाते में जमा कर प्रस्तुत करेंगे ।

8. RDC में मान्य शोधार्थियों को RDC पंजीयन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् पी.एच.डी प्रवेश तिथि से छःमाही प्रगति रिपोर्ट (Six Month Progress Report) अध्यादेश 45 के Appendix-I अनुसार एवं संलग्न अनुसार उपस्थिति पत्रक तैयार कर अपने शोध निर्देश से प्रमाणित करा कर शोध शुल्क सहित विश्वविद्यालय में जमा करेगे ।

9. महाविद्यालीयन शोध केन्द्रों में अध्ययनरत शोधार्थियों द्वारा शोध शुल्क का 50% राशि (रू. 3500.00 / रू. 2500.00) शोध केन्द्र में तथा 50% विश्वविद्यालय में देय होगा । सभी छःमाही शुल्क छःमाही अवधि के प्रारंभ में जमा किया जाना है । विलंब होने पर प्रतिमाह रू. 200/- विलंब शुल्क देय होगा ।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 199/अका./शोध/2019

दुर्ग, दिनांक 30/01/2019

1. प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) ।
3. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ ।

सहायक कुलसचिव अका.
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)